पत्रांक–वन भूमि–70 / 2018..... / प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– कटिहार जिलान्तर्गत NH-131A के कि०मी० 49 पर (L.C. No. KB/1B) पर प्रस्तावित ROB (48.603-49.817) के पहुँच निर्माण हेतु (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.382 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित ROB एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 0.382 हे० वन भूमि एवं 29 वृक्षों के पातन प्रस्तावित है। पातित होने वाले सभी वृक्ष 60 से०मी० से अधिक के है। प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्गत कुल– 0.382 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्मण में पातित होने वाले वृक्षो (29) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 290 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है। वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का निरीक्षण प्रतिवेदन, पातित होने वाली वृक्षों की गणना सूची एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.382 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,39,132/– (दो लाख उनचालीस हजार एक सौ बत्तीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (29) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 290 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–70/2018......................../प0व0, पटना–15, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक: वन भूमि–70/2018 1059(ई०)/प0व0, पटना–15, दिनांक 18/7/18

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

[signature] 18/7/18
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

VRStg.One186